इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 546] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2011—अग्रहायण 9, शक 1933


### विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2011

क्र. 25432-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबंधों के पालन में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

**राजकुमार पांडे**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

### मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४७ सन् २०११

## अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, २०११

विषय-सूची

**खण्ड :**


१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.
८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
९. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.
१०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
११. साधारण परिषद्.

१२. साधारण परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.
१३. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.
१४. साधारण परिषद् की शक्तियां.
१५. साधारण परिषद् का सम्मिलन.
१६. कार्य परिषद्
१७. कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.
१८. कार्य परिषद् की पदावधि.
१९. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२०. कार्य परिषद् का सम्मिलन.
२१. स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.
२२. विद्या परिषद्
२३. विद्या परिषद् की सदस्यता.
२४. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.
२५. विद्या परिषद् के सम्मिलन.
२६. संकायों का गठन.
२७. वित्त समिति.
२८. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
२९. कुलपति.
३०. प्रति कुलपति.
३१. विभागाध्यक्ष.
३२. कुल सचिव.
३३. चयन समिति.
३४. परिनियम.
३५. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३६. अध्यादेश.
३७. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३८. विनियम.
३९. पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति.
४०. उपदान तथा पेंशन.
४१. विश्वविद्यालय की निधि.
४२. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.
४३. वित्तीय प्राक्कलन.
४४. वार्षिक रिपोर्ट.
४५. संविदाओं का निष्पादन.
४६. उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रदान किया जाना.
४७. सम्मानिक उपाधियां.
४८. उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण.
४९. सम्पत्ति का अन्तरण.
५०. रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
५१. प्रारंभ पर कठिनाईयों का दूर किया जाना.
५२. अस्थायी उपबन्ध.
५३. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.
५४. संरक्षण.
५५. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
५६. असंबद्ध विश्वविद्यालय.
५७. परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

**मध्यप्रदेश विधेयक**

क्रमांक ४७ सन् २०११

# अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, २०११

**मध्यप्रदेश राज्य में हिन्दी भाषा के विकास, हिन्दी माध्यम से ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए हिन्दी विश्वविद्यालय को स्थापित और निगमित करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, अधिनियम, २०११ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

**परिभाषाएं**

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विद्या परिषद् '' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;

(ख) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) ''कार्य परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;

(घ) ''साधारण परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;

(ङ) '' प्रति कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति;

(च) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(छ) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' तथा ''विनियम'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(ज) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित किया गया अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय;

(झ) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(ञ) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति.

**विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.**

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय भोपाल में होगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, चल तथा अचल दोनों सम्पत्ति अर्जित करने और धारित करने, उसके द्वारा धारित किसी सम्पत्ति का अंतरण करने और संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.

(४) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकाएं, कुलसचिव को जारी की जाएंगी और उस पर तामील की जाएंगी.

**विश्वविद्यालय के उद्देश्य.**

४. विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य, हिन्दी भाषा को अध्यापन, प्रशिक्षण, ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए तथा विज्ञान, साहित्य, कला, और अन्य विधाओं में उच्च स्तरीय गवेषणा के लिये शिक्षण का माध्यम बनाना है. उपरोक्त उद्देश्यों की व्यापकता को प्रभावित किए बिना, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:

(एक) विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, कला, दर्शन और अन्य विधाओं के अध्ययन और गवेषणा को प्रोन्नत करना, संकलित करना और संरक्षित करना;

(दो) हिन्दी भाषा में शिक्षा और ज्ञान को प्रोन्नत करना और उसका प्रसार करना और इस प्रयोजन की पूर्ति करने के लिए अन्य भाषाओं से अनुवाद करना, प्रकाशन, दृश्य और दूरस्थ शिक्षा का उपयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और रोजगार कौशल का उपयोग संचालित करना;

(तीन) हिन्दी भाषा के ज्ञान को प्रोन्नत करने के लिए अभिभाषणों, सेमीनारों, परिसंवादों, अधिवेशनों का आयोजन करना;

(चार) विभिन्न विधाओं में शिक्षण तथा प्रशिक्षण को प्रोन्नत करना, जैसा कि विश्वविद्यालय ठीक समझे और गवेषणा कार्य किए जाने का इंतजाम करना;

(पांच) सभी धर्मों और मुख्य प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतियों के अध्ययन तथा गवेषणा कार्य को प्रोत्साहित करना;

(छह) परीक्षा संचालित करना और मानद उपाधियां और अन्य विशिष्टियां प्रदान करना;

(सात) ऐसे समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों को प्राप्त करने में आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक हों.

**अधिकारिता.**

५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा:

परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, उसके अध्यापन या गवेषणा संबंधी क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप को अंशत: या पूर्णत: चलाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य से बाहर या विदेश में की किसी संस्था के साथ सहयोग के लिये अनुमति दे सकेगी.

**विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मालमों में विभेद का प्रतिषेध.**

६. विश्वविद्यालय, भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म-स्थान, राजनैतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

**विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.**

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—

(एक) विश्वविद्यालय की गवेषणा, शिक्षा और शिक्षण के लिए विश्वविद्यालय के अधीन स्थापित किए गए केन्द्रों तथा संस्थाओं का प्रशासन एवं प्रबंध करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक हैं;

(दो) नूतन विषय पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उनके अध्ययन का तथा अध्यापन और अध्ययन के प्रभावी तरीकों का प्रबंध करना;

(तीन) हिन्दी और हिन्दी भाषा के ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण हेतु उपबंध करना और गवेषणा के लिए और हिन्दी के ज्ञान के विकास तथा प्रसार के लिये उपबंध करना;

(चार) सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं पर गवेषणा कार्य को प्रायोजित करना तथा हाथ में लेना;

(पांच) उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना;

(छह) बहिर्वर्ती शिक्षण और विस्तारी सेवाओं को आयोजित करना और उनका जिम्मा लेना;

(सात) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किन्ही उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;

(आठ) परिनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(नौ) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;

(दस) छात्र निवास (हॉल) तथा छात्रावास स्थापित करना तथा बनाए रखना और विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के स्थानों को मान्यता देना और निवास के किसी ऐसे स्थान को दी गई मान्यता का प्रत्याहरण करना;

(ग्यारह) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अध्यापन, विद्या संबंधी या गवेषणा पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(बारह) तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;

(चौदह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या उनका चलाना बंद करना;

(सोलह) ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिन पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, हिन्दी में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गवेषणा और सहायक विषयों के संबंध में किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रबंध करना;

(अठारह) ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान तथा दान प्राप्त करना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये हों तथा जो उन उद्देश्यों से संगत हों, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

(उन्नीस) कोई ऐसी भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय ठीक तथा उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;

(बीस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग का, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे, तथा जो विश्वविद्यालय के हित तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या उनका अन्यथा व्ययन करना;

(इक्कीस) वचन-पत्रों (प्रामिसरी नोट), विनिमय-पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों का आहरण तथा प्रतिगृहित करना, लिखना और पृष्ठांकन करना, बट्टा (डिस्काउंट) देना और परक्रामण (नैगोशिएट) करना;

(बाईस) जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में, जिसमें विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अपेक्षित सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेंट सिक्यूरिटीज) सम्मिलित हैं, हस्तांतरण पत्र, अन्तरण, पुनर्हस्तांतरण पत्र, बंधक, पट्टे तथा करार निष्पादित करना;

(तेईस) विश्वविद्यालय की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने या उसका कोई कामकाज करने या उपर्युक्त खण्ड (अठारह), (उन्नीस), (बीस) तथा (इक्कीस) के अधीन विश्वविद्यालय के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त करना;

(चौबीस) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने के लिये कोई करार करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्ही भी सम्पत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बन्धपत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों या अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्ही प्रतिभूतियों के बिना ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसे कि वह उचित समझे, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना, और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधियों में से करना और उधार लिये गये किसी धन का प्रतिदाय तथा मोचन करना;

(छब्बीस) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय को सौंपी गई निधि, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किसी विनिधान को, समय-समय पर, अंतर्विनिमय (ट्रान्सपोज) करना;

(सत्ताईस) ऐसे विनियम बनाना, जो समय-समय पर, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों तथा प्रबंध का विनियमन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन करना, उपांतरण करना तथा उन्हें विखण्डित करना;

(अट्ठाईस) विद्या संबंधी, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, पेंशन, बीमा और उपदान जैसा कि वह उचित समझे, निधि गठित करना और विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारिवृन्द के फायदे के लिये ऐसा अनुदान देना, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी संथाओं, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और कन्वेयंस के स्थापित किये जाने में सहायता करना और उनका समर्थन करना, जो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के फायदे के लिये आशयित हों;

(उन्तीस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा बातें करना, जो विश्वविद्यालय अपने समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करने या उनमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे.

**विश्वविद्यालय में अध्यापन.**

८. (१) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के संबंध में समस्त मान्यताप्राप्त अध्यापन, साधारण परिषद् के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा, ऐसे पाठ्य-विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(२) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

**स्पष्टीकरण.**— उपधारा (१) में, "अध्यापक" से अभिप्रेत है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् साथ ही कार्य परिषद् के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्था में, शिक्षण के लिये और गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हों.

**विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.**

९. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निदेश दे. विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी विभाग का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाए और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था से संबंधित किसी मामले के संबंध में जांच करवाए.

(३) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए.

(४) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति, कुलाधिपति के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा:

परन्तु जहां राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निरीक्षण की जांच की गई है, तो राज्य सरकार, कुलाधिपति द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जान सकेगी और कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करेगा.

(५) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी.

(६) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधन, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप से कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति, कार्यपरिषद् या प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गये किसी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबंधन इसका अनुपालन करेंगे.

**विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.**

१०. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :—

(एक) साधारण परिषद् ;

(दो) कार्य परिषद्;

(तीन) विद्या परिषद्;

(चार) वित्त समिति; और

(पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

**साधारण परिषद्.**

११. विश्वविद्यालय की एक साधारण परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

एक—पदेन सदस्य

(एक) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री ;

(दो) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री;

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री;

(चार) विश्वविद्यालय का कुलपति;

(पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(छह) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;

(सात) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश;

(आठ) मध्यप्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति (निजी विश्वविद्यालयों से भिन्न);

दो—नामनिर्दिष्ट सदस्य

(नौ) शिक्षा, संस्कृति, कला, सामाजिक कार्य, उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य जिनमें अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों का, प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा;

(दस) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विख्यात शिक्षाविद्, जिनमें से एक महिला होगी;

(ग्यारह) भाषा या साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर सम्मानित कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती;

(बारह) मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अध्यापक/आचार्य में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट छह सदस्य जिनमें एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का होगा.

**साधारण परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.**

१२. (१) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री, साधारण परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.

(२) उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री, साधारण परिषद् का उपाध्यक्ष (वाईस-चेयरमेन) होगा.

(३) विश्वविद्यालय का कुलपति, साधारण परिषद् का सचिव होगा.

**साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.**

१३. (१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी.

(२) जहां साधारण परिषद् का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्दिष्ट सदस्य है, वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि यथास्थिति, उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.

(३) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिये सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(४) साधारण परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता.

**साधारण परिषद् की शक्तियां.**

१४. साधारण परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) धारा ७ में अधिकथित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई हैं, प्रयोग करना;

(दो) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय करना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि ठीक समझा जाए;

(चार) विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय की किसी समिति या उसकी उप-समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी समस्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और

(पांच) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए वह आवश्यक समझे.

**साधारण परिषद् का सम्मिलन.**

१५. (१) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मिलन होगा और उसके सम्मिलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचना दी जाएगी.

(२) अध्यक्ष, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.

(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मिलन की गणपूर्ति होगी.

(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाए, तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी तब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और कागज-पत्र, साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलिन के समक्ष उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.

(६) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण, सम्यक्रूप से संपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मिलन में रखे जाएंगे.

**कार्य परिषद्**

१६. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी.

(२) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध तथा नियंत्रण और उसकी आय, कार्य-परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी.

**कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.**

१७. (१) कुलपति, कार्य परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.

(२) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) साधारण परिषद् के दो सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(पांच) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक अध्यापक, जो ज्येष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति का होगा;

(छह) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक महिला होगी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया हो;

(सात) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट चार व्यक्ति-दो विद्वान तथा किसी भी क्षेत्र से दो विख्यात व्यक्ति, इन चार व्यक्तियों में से अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक का एक-एक व्यक्ति होगा.

**कार्यपरिषद् की पदावधि.**

१८. (१) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए.

(२) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित होने वाले किसी दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है या यदि कुलपति या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मिलनों में, कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(३) जब तक कि कार्य परिषद् की उनकी सदस्यता उपधारा (१) या (२) में उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे.

(४) कार्य परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य, कार्य परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिये हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति की कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा.

**कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.**

१९. धारा १४ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यपरिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—

(एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना:

परन्तु अध्यापन पद राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सृजित किए जाएंगे;

(दो) समय-समय पर कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष, आचार्य और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्य, जैसा कि आवश्यक हो, विनियमों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना:

परन्तु—

(क) किसी अधिसंख्य पद (सुपरन्यूमरेरी पोस्ट) पर, या

(ख) उच्च विद्या संबंधी विशिष्टता, विख्यात तथा कुशलता प्राप्त व्यक्ति की आचार्य के पद पर,

नियुक्ति करने के लिये कोई चयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं होगा;

(तीन ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना, और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य समस्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(पांच) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;

(छह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;

(सात) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की, जो कि किसी कारण से व्यथित अनुभव करते हैं, उनकी व्यथाएं ग्रहण करना, उन्हें न्यानिर्णीत करना और उन्हें दूर करना;

(नौ) विद्या परिषद् से परामर्श करके परीक्षक तथा अनुसीमक (माडरेटर) नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(दस) विश्वविद्यालय के लिये सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, सिवाय विनियम बनाने की शक्ति के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना;

(बारह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं; और

(तेरह) कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के इंतजाम करना तथा उनकी सेवा शर्तों का पूर्व निर्धारण करना तथा अस्थायी रिक्तियों को भरना.

**कार्यपरिषद् का सम्मिलन.**

२०. (१) कार्य परिषद् का सम्मिलन चार मास में कम से कम एक बार होगा.

(२) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.

(३) कार्य परिषद् के किसी सम्मिलन में उसके चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं, तो यथास्थिति कार्य परिषद् के अध्यक्ष का या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि कार्य परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक हो तो कुलपति कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्र के प्रचालन द्वारा कारबार का संव्यवहार किये जाने की अनुमति दे सकेगा तथा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे सहमति न दी जाए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना कार्य परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी और कागज-पत्र कार्य परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष पुष्टिकरण के लिये रखे जाएंगे.

**स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.**

२१. (१) इस अधिनियम के और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबधों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये गठित या नियुक्त कर सकेगी.

(२) कार्य परिषद्, समितियों का गठन या नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि प्राचार्यों, अध्यापकों, हिन्दी के विद्वान व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और/या किसी विषय के अन्य विद्वान व्यक्तियों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी दो से अधिक समितियों के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(३) कार्य परिषद् अन्य ऐसी समितियों या उप समितियों का भी गठन कर सकेगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

(४) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.

**विद्या परिषद्.**

२२. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह इन मानकों को बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं और उसे यह अधिकार होगा कि वह विद्या संबंधी समस्त मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह दें.

**विद्या परिषद् की सदस्यता.**

२३. (१) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे विशेषज्ञ जो अन्य विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे हैं;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष, जो तीन से अधिक न हों, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाएं;

(चार) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो आचार्य, यदि कोई हों; और

(पांच) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द का एक सदस्य, जो सह-आचार्य और सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हों:

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी उपरोक्त खण्ड (दो) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये जाने का पात्र नहीं होगा.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम विद्या परिषद् की अवधि पांच वर्ष होगी.

**विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.**

२४. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(एक) ऐसे किसी विषय पर, जो साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्योजित किया जाए, रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों तथा कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के गठन के लिये स्कीमें बनाना तथा उनको उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषय सौंपना और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या एक संकाय को दूसरे संकाय के साथ संयोजित करने की समीचीनता के संबंध में भी कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिये विनियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के भीतर गवेषणा को प्रोन्नत करना और ऐसी गवेषणा पर, समय-समय पर रिपोर्ट दिये जाने की अपेक्षा करना;

(छह) संकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर विचार करना;

(सात) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियां नियुक्त करना;

(आठ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के उपाधिपत्रों तथा उपाधियों के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(नौ) साधारण परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति तथा अन्य पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, ढंग तथा शर्तें नियत करना तथा उन्हें प्रदान करना;

(दस) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाए जाने और उनकी फीस परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य व्यय नियत करने के बारे में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियां या अधिकारी नियुक्त करना और उपाधियों, सम्मानों, उपाधिपत्रों, पदवियों (टाईटल्स) और सम्मान के प्रतीकों को प्रदान किये जाने के संबंध में सिफारिशें करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार देना और अन्य अवार्ड (पुरस्कार) अध्यादेशों या ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार देना, जो ऐसे अवार्ड (पुरस्कार) से संबद्ध की जाएं.

(तेरह) विहित की गई या सिफारिश की गई पाठ्य-पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित किए गये अध्ययन पाठ्यक्रमों का पाठ्य-विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्ररूप तथा रजिस्टर तैयार करना जो विनियमों द्वारा, समय-समय पर विहित किए जाएं, और

(पन्द्रह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के उचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक हों.

**विद्या परिषद् के सम्मिलन.**

५. (१) विद्या परिषद् उतनी बार, जितनी बार कि आवश्यक हो, सम्मिलन करेगी किन्तु किसी एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी.

(२) विद्या परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) विद्या परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे.

(३) विद्या परिषद् के सम्मिलन के लिये विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्या परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष को या यथास्थिति, सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को, उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

(५) यदि विद्या परिषद् द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, विद्या परिषद् के सदस्यों में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस पर विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की संसूचना विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज-पत्र विद्या परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.

**संकायों का गठन.**

२६. परिनियमों के अधीन यथा विहित संकायों का गठन किया जाएगा.

**वित्त समिति.**

२७. (१) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;
(दो) तीन सदस्य जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी (जो उप सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के न हों) जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(२) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(दो) नवीन व्ययों के लिये समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना;

(चार) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना.

(३). वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मिलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कुलपति, वित्त समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेंगे.

**विश्वविद्यालय के अधिकारी.**

२८. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;
(दो) प्रति कुलपति;
(तीन) विभागाध्यक्ष;
(चार) कुलसचिव; और
(पांच) ऐसे अधिकारी, जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

**कुलपति.**

२९. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति प्रतिगृहीत करने के लिये रजामंद न हों, तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिश मंगा सकेगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(एक) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;
(दो) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक सदस्य;

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;

(चार) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति,

कुलाधिपति इन चार व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिये कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को आगे नामनिर्दिष्ट कर सकेगा. राज्य सरकार समय-सीमा के भीतर नामनिर्देशन करेगी.

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(५) समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए, तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि किसी कारण से वह समिति जो उपधारा (२) के अधीन गठित की गई हो, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे चार व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हों, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा और इस प्रकार गठित की गई समिति, अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुतर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन गठित समिति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

(८) कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(९) कुलपति, चार वर्ष की अवधि या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा:

परंतु उसकी पदावधि साधारण परिषद् द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर दिए जाने पर केवल एक बार दो वर्ष की अधिकतम कालावधि तक के लिए नवीकरणीय होगी किन्तु उसकी आयु सत्तर वर्ष से अधिक न हो, और उसकी पदावधि के समाप्त हो जाने पर, वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है.

(१०) कुलपति—

(एक) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक्रूप से पालन किया जाता है.

(दो) को विश्वविद्यालय में उचित रूप से अनुशासन बनाए रखने संबंधी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

(११) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यह अपेक्षित है कि तुरन्त कार्रवाई की जाए तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, और उसकी रिपोर्ट कार्य परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि हेतु रखेगा, जो साधारण स्थिति में उस विषय में कार्रवाई करती.

(१२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी तथा विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उन व्यक्तियों को उपाधि प्रदान करेगा, जो प्राप्त करने के हकदार हैं.

(१३) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा.

(१४) कुलपति, किसी आपात स्थिति में, कोई ऐसी कार्रवाई जो उसकी राय में तुरन्त करना आवश्यक है कर सकेगा और ऐसे मामलों में वह इसके यथाशक्यशीघ्र पश्चात् उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को करेगा, जिसने साधारणत: उस मामले में कार्रवाई की होती.

(१५) कुलपति, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए और अध्यापन, गवेषणा और विस्तारी शिक्षा के गहन समन्वय तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा.

(१६) यदि अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् किसी भी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने—

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किए गए किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या

(तीन) वह विश्वविद्यालय को कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(१७) उपधारा (१६) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्थापित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हों तथा उसे प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(१८) उपधारा (१६) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.

(१९) कुलपति का पद किन्हीं भी कारणों से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, प्रति कुलपति और यदि प्रति कुलपति उपलब्ध नहीं है, तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नामनिर्दिष्ट किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि नया कुलपति, जो उपधारा (१) या उपधारा (७) के अधीन नियुक्त किया गया है, ऐसी रिक्ति भरने के लिए अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु इस धारा में अनुध्यात व्यवस्था छह मास से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी.

**प्रति कुलपति.**

३०. कुलपति संकायाध्यक्षों में से एक को प्रति कुलपति के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा और वह कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारित करेगा तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा समनुदेशित किए जाएं.

**विभागाध्यक्ष.**

३१. (१) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभागों के लिए एक विभागाध्यक्ष होगा.

(२) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, उनके कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

कुल सचिव.

३२. (१) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा. कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा-शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(२) कुलसचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति तथा संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा.

(३) कुलसचिव—

(एक) कार्य परिषद् तथा कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का पालन करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का, जो कि कार्य परिषद् उसके सुपुर्द करें, अभिरक्षक होगा;

(तीन) किसी आपात स्थिति में, ऐसी दशा में, जबकि कुलपति और सम्यक्रूपेण प्राधिकृत अधिकारी दोनों ही कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, तो तुरन्त कार्य परिषद् का सम्मिलन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य चलाने हेतु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा;

(चार) अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति सीधे ही उत्तरदायी होगा;

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों को सत्यापति करेगा या इस प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करेगा;

(छह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, समय-समय पर उसे सोंपे जाएं; और

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का स्थायी अभिलेख संधारित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, प्राप्त की गई श्रेणी, प्रदान की गई उपाधि, जीते गए पारितोषिक या अन्य विशिष्टताएं, सम्मान और छात्रों की शैक्षणिक प्रगति से संबंधित अन्य मदें सम्मिलित हैं.

(४) कुलसचिव का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कुलपति, विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों का, जैसा कि कुलपति उचित समझे, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा.

चयन समिति.

३३. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय में आचार्यो, सह आचार्यो तथा अन्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी.

(२) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तुत तीन विषय विशेषज्ञों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विषय विशेषज्ञ, जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संबद्ध न हों:

परंतु दो विशेषज्ञों में से कम से कम एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के प्रवर्गों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. इन प्रवर्गों में से किसी विशेषज्ञ के उपलब्ध न होने की दशा में, आयुक्त से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रशासनिक अधिकारी, जो आरक्षित प्रवर्गों में से हो, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य.

(३) चयन समिति का सम्मिलन,जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा और तीन सदस्यों से इसकी, गणपूर्ति होगी.

(४) कुलपति को, कार्य परिषद् की अनुशंसा पर, विश्वविद्यालय में विख्यात विद्वानों और विषय विशेषज्ञों को विशेष सेवा शर्तों पर नियुक्त करने की शक्ति होगी, जिससे वे शिक्षण के प्रति आकर्षित हो सकें.

(५) विश्वविद्यालय के उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार, विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, अध्यापकों को निश्चित कालावधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियोजित कर सकेगी.

परिनियम.

३४. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए परिनियमों में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, जैसा कि समय-समय पर उसके गठन के लिए आवश्यक समझा जाए;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि, जिसमें प्रथम सदस्यों के पद में निरन्तरता तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो, सम्मिलित हैं;

(ग) कुलपति की परिलब्धियों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) प्रति कुलपति की पदावधि, सेवा की शर्तें तथा परिलब्धियां तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य एवं उनकी सेवा की शर्तें;

(च) विशविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का गठन तथा बीमा स्कीम की स्थापना, तथा उपदान (ग्रेच्युटी) और अन्य प्रसुविधाओं के लिए उपबंध करना;

(छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;

(ज) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मानों का वापस लिया जाना;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकाय, हाल, महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, अध्ययन केन्द्र तथा संस्थाओं की स्थापना तथा समाप्ति;

(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे;

(ठ) उस स्वायत्तता का विस्तार, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों को प्राप्त है, और वे मामलें जिनके संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;

(ङ) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आचार्यों, उपाचार्यों (रीडर), व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं;

(ढ) विन्यासों का प्रशासन तथा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां (एक्जीवीशन), वजीफे, पदक, पारितोषिक तथा अन्य पुरस्कार संस्थित किया जाना;

(ण) अधिकारियों की परिलब्धियां तथा उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों की, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, परिलब्धियां तथा वेतनमान;

(त) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता अवधारित करने का तरीका;

(थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का संधारण;

(द) प्रकाशन तथा हिन्दी में अनुवाद के लिए ब्यूरो की स्थापना तथा गठन; और

(ध) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हों.

**परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे.**

३५.(१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे.

(२) साधारण परिषद्, किन्हीं परिनियमों को समय-समय पर बना सकेगी, संशोधित कर सकेगी या उनका निरसन कर सकेगी.

**अध्यादेश.**

३६. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्:—

(क) केन्द्रों, अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोगशालाओं में छात्रों का प्रवेश तथा फीस का उद्ग्रहण और उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;

(ग) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं;

(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश और उपाधियों तथा उपाधिपत्रों हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(ङ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु शर्तों का अधिकथित किया जाना;

(च) परीक्षाओं का संचालन;

(छ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र-सहायता-वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों आदि को प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अध्यापन विभागों, महाविद्यालयों, अध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा हॉल में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;

(ञ) छात्र निवासों की मान्यता तथा निरीक्षण;

(ट) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;

(ठ) नैतिकता संबंधी शिक्षण किया जाना;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संधारित महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;

(ढ) महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;

(ण) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अंतर्गत उनका वेतनमान सम्मिलित है;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड तथा समितियों के कर्त्तव्य तथा शक्तियां;

(थ) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन तथा प्रभावशील किए जाने वाले नियम;

(द) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;

(ध) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(न) वे दरें, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों को और विश्वविद्यालयों के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारिवृन्द को यात्रा भत्ता तथा दैनिक अनुज्ञेय होगा;

(प) छात्र संघ का गठन तथा उसका ढंग; और

(फ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशों द्वारा भी उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं:

परन्तु मद (ण) के अधीन कोई अध्यादेश, विश्वविद्यालय के ऐसे अध्यापकों के वेतन के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए होगा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा, कार्य परिषद् द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा नियत वेतनमान के अनुसार भुगतान किया जाता हो.

**अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.**

३७. (१) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे.

(२) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको वह साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए.

**विनियम.**

३८. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन तथा प्रबंध के लिये उपबंध करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति भी होगी:

परन्तु कार्य परिषद् ऐसा कोई विनियम जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की हैसियत, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करता हो, तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों पर प्रभाव डालने वाला कोई विनियम, विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना नहीं बनाएगी और न ही उसे संशोधित या निरस्त करेगी, अर्थात्:—

(एक) विद्या परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;

(दो) विश्वविद्यालय के संबंध में अध्यापन पाठ्यक्रम तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी;

(तीन) संकायों, विभागों, छात्र निवासों तथा संस्थाओं की स्थापना और उनका समाप्त किया जाना;

(चार) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग और परीक्षाओं या अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन तथा उसके मानक;

(पांच) छात्रों का नामांकन तथा प्रवेश का ढंग;

(छह) अन्य परीक्षाओं को विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संचालन तथा स्तर के समतुल्य मान्यता प्रदान करना.

(२) विद्या परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह उपधारा (१) के खण्ड (एक) से (छह) तक में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों पर विनियम प्रस्तावित करें,

(३) जहां विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम का प्रारूप कार्य परिषद् ने नामंजूर कर दिया है वहां विद्या परिषद्, कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्रस्तावित विनियम साधारण परिषद् के आगामी सम्मिलन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जाए और साधारण परिषद् के ऐसे अनुमोदन के लंबित रहने तक वह विनियम ऐसी तारीख से, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावी होगा:

परन्तु ऐसे विनियम को यदि साधारण परिषद् के ऐसे सम्मिलन में अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वह प्रभावी नहीं रह जाएगा.

(४) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए समस्त विनियम साधारण परिषद् के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में प्रस्तुत किए जाएंगे और साधारण परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम को संशोधित या रद्द कर दे:

परन्तु ऐसे विनियम जहां तक कि वे धारा ४० में प्रगणित किए गए अनुसार उपदान तथा पेंशन से संबंधित हैं, साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवृत्त होंगे.

**पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति.**

३९. (१) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और उस पर अपनी सिफारिशें करने के लिये एक आयोग गठित करेगा.

(२) आयोग में कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे जिनमें से एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति किया जाएगा,

(३) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि कुलाधिपति अवधारित करें,

(४) आयोग, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, अपनी सिफारिश कुलाधिपति को करेगा,

(५) कुलाधिपति, ऐसी सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसी कि वह उचित समझे.

**उपदान तथा पेंशन.**

४०. विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी ऐसे परिनियमों के अनुसार, जो उस निमित्त बनाए जाएं, पेंशन तथा उपदान के फायदों के लिए हकदार होंगे. राज्य सरकार का, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए गए शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों की पेंशन तथा उपदान के भुगतान का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा.

**विश्वविद्यालय की निधि.**

४१. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—

(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;

(तीन) कोई वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेण्ट्स) या अन्य अनुदान जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किए गए हों;

(चार) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और

(पांच) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त रकमें.

(२) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाए.

(३) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय.

**वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.**

४२. (१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जाएंगे.

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी:

परन्तु राज्य सरकार को, जब आवश्यक समझा जाए, यह निदेश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के, जिनका प्रबंध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा करवाई जाए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे;

(३) लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट की एक-एक प्रति साधारण परिषद् के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी तथा तत्पश्चात् यह कार्य परिषद् द्वारा प्रकाशित की जाएगी.

(४) वार्षिक लेखाओं पर साधारण परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मिलन में विचार किया जायेगा, साधारण परिषद् उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी. कार्य परिषद्, साधारण परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसी कि वह उचित समझे, कार्य परिषद् उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किए जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में देगी.

**वित्तीय प्राक्कलन.**

४३. (१) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिये वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी.

(२) कार्य परिषद् उस दशा में जहां ऐसी रकम से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में, व्यय किया जाता है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए व्यय कर सकेगी और जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मिलन में की जाएगी.

वार्षिक रिपोर्ट.

४४. (१) कार्य परिषद्, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें ऐसी विशिष्टयां होंगी, जो विनियमों द्वारा विहित की गई हों, या जिन्हें साधारण परिषद्, संकल्प पारित करके विनिर्दिष्ट करे और कार्य परिषद् उनके अनुसार कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई साधारण परिषद् को संसूचित की जाएगी.

(२) वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ साधारण परिषद् के संकल्प की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और राज्य सरकार उसे यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

संविदाओं का निष्पादन.

४५. प्रबन्धन तथा प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो तो वह कुलपति द्वारा जब उसका मूल्य दस लाख रुपये से कम है तो कुलसचिव द्वारा उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन निष्पादित की जाएंगी.

उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र आदि का प्रदान किया जाना.

४६. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को यह शक्ति होगी कि इस अधिनियम के अधीन उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और पदवियां प्रदान करे.

सम्मानिक उपाधियां.

४७. यदि विद्या परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य यह सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विशिष्ट उपलब्धियों तथा हैसियत के कारण उनकी राय में कोई सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, और ऐसी सम्मानिक उपाधि, विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी उसे प्रदान की जाए तो साधारण परिषद्, संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकेगी कि सिफारिश किए गए व्यक्ति को ऐसी सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी प्रदान की जाए.

उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण.

४८. (१) साधारण परिषद् कार्य परिषद् की सिफारिश पर, साधारण परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता, उपाधि, उपाधिपत्र या विशेषाधिकार को उस दशा में प्रत्याहृत कर सकेगी, जबकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें साधारण परिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है या कि वह घोर अवचार का दोषी रहा है.

(२) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है.

(३) साधारण परिषद्, द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को तुरन्त भेजी जाएगी.

(४) साधारण परिषद्, द्वारा किए गए विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा.

सम्पत्ति का अन्तरण.

४९. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, विश्वविद्यालय को भवन, भूमि या कोई अन्य सम्पत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उपयोग और प्रबंध किए जाने के लिए ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि राज्य सरकार उचित समझे, अंतरित कर सकेगी.

रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.

५०. (१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई कार्य या कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

(२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई संकल्प इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि किसी सदस्य पर सूचना की तामील में कोई अनियमितता हुई है बशर्ते ऐसे प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाहियां ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं हुई हों.

**प्रारंभ पर कठिनाइयों का दूर किया जाना.**

५१. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम सम्मिलन के संबंध में या इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों को प्रथम बार प्रभावशील करने में अन्यथा कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो कुलाधिपति किसी भी समय, इसके पूर्व कि विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों का गठन किया जाए, आदेश द्वारा, कोई नियुक्ति कर सकेगा या जहां तक हो सके, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों से संगत कोई ऐसी बात कर सकेगा जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, और ऐसे किसी आदेश का यह प्रभाव होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई, इस अधिनियम तथा परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों में उपबंधित की गई रीति में की गई है:

परन्तु कुलाधिपति ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलपति और विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकारी की जो कि गठित किया जा चुका हो, राय सुनिश्चित करेगा तथा उस पर विचार करेगा.

**अस्थायी उपबन्ध.**

५२. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, साधारण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसे समय तक, ऐसी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, जिनका इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाना है, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किये गये अनुसार ऐसा प्राधिकारी अस्तित्व में नहीं आ जाता है.

**कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिये विशेष उपबंध.**

५३. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, उसमें वर्णित किए जाने वाले कारणों से यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसी और कालावधि की वृद्धि, जैसा कि वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाए.

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी, कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसी ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे:—

(एक) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक यथास्थिति, कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाये तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों :

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

(५) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का आवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्यशीघ्र, कुलपति अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्रवाई करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी:

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथा स्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.

**संरक्षण.**

५४. विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावनापूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा है, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

**अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.**

५५. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.

**असंबद्ध विश्वविद्यालय.**

५६. विश्वविद्यालय एक असंबद्ध विश्वविद्यालय होगा.

**परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना.**

५७. (१) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

(३) परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम बनाने की शक्ति में परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों को या उनमें से किसी को, उस तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने वाली शक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की न हो, परंतु किसी भी परिनियम, अध्यादेश और विनियम में ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम लागू होते हों, हित प्रतिकूलत: प्रभावित होते हों.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिन्दी देश में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है. हिन्दी को, उच्च शिक्षा में शिक्षण के एक प्रभावी माध्यम के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न विद्याओं में, ज्ञान की अभिवृद्धि हिन्दी भाषा में करने की दृष्टि से राज्य में, यथोचित् अधिनियमिति द्वारा, एक हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का विनिश्चय किया गया है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २४ नवम्बर, २०११.

**लक्ष्मीकांत शर्मा**
भारसाधक सदस्य.

---

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

## वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, २०११ के खण्ड ३ एवं १९ के उपबंधों के प्रभावशील होने की दशा में विश्वविद्यालय की स्थापना, पदों के सृजन एवं अधोसंरचना विकास हेतु रुपये ५ करोड़, वार्षिक आवर्ती तथा रुपये ८० करोड़ का अनावर्ती वित्तीय भार राज्य की संचित निधि पर आना संभावित है.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड १(३)—अधिनियम के प्रभावशील किए जाने की तिथि अधिसूचित किए जाने;

८ विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या के संचालन, नियंत्रण और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी विहित किए जाने;

खण्ड ९ (६) कार्य परिषद् का प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार किए जाने;

खण्ड १४ धारा ७ में अधिकथित शक्तियों तथा कृत्यों के संबंध में साधारण परिषद् को अधिकार प्रदान किए जाने;

खण्ड १९ विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन तथा पद समाप्त करने, पदों का वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित अर्हताएं, परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित किए जाने के संबंध में कार्य परिषद् को अधिकार प्रदान किए जाने;

खण्ड २४ विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन के लिए साधारण परिषद् एवं कार्य परिषद् को आवश्यक व्यवस्थाएं किए जाने संबंधी निदेश प्रदान किए जाने;

खण्ड २९ कुलपति की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण किए जाने;

खण्ड ३० प्रति कुलपति की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण किए जाने;

खण्ड ३१ विभागाध्यक्षों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के निर्धारण किए जाने;

खण्ड ३२ कुल सचिव की नियुक्ति, पदावधि तथा सेवा शर्तों के निर्धारण किए जाने;

खण्ड ३४ इस अधिनियम के उपबंधों के तहत परिनियम बनाये जाने;

खण्ड ३६ इस अधिनियम के अधीन अध्यादेश बनाये जाने;

खण्ड ३८ इस अधिनियम के उपबंधों के तहत विनियम बनाये जाने;

खण्ड ३९ पुनिर्विलोकन आयोग की नियुक्ति किए जाने;

खण्ड ४० उपदान तथा पेंशन के निर्धारण;

खण्ड ४२ लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में निदेश दिए जाने;

खण्ड ४३ वित्तीय प्राक्कलन सुनिश्चित किए जाने;

खण्ड ४४ वार्षिक रिपोर्ट तैयार किये जाने;

खण्ड ४६ उपाधि, उपाधिपत्र, प्रमाण-पत्र आदि प्रदान किये जाने;

खण्ड ४७ सम्मानिक उपाधियां प्रदान किए जाने किए जाने;

खण्ड ४८ उपाधि, उपाधिपत्र या प्रमाण-पत्र का प्रत्याहरण किए जाने;

खण्ड ४९ संपत्ति का अन्तरण सुनिश्चित किए जाने;

खण्ड ५१ कठिनाइयों को दूर किए जाने; तथा

खण्ड ५३ विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन हेतु विशेष उपबंध सुनिश्चित किए जाने

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

**राजकुमार पांडे**
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित---2011.